

21/1/26

उपपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में कोई नर  
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं  
आया। अतः कदपत्र / प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं  
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता  
है। पत्रावली फौसला शुमार न. से कम की जाकर  
दाखिल दफ्तर हो।

→